

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 82 सन 2022

अनवान :-

1. पदमसिंह पुत्र गणपतराम जाति राजपूत साकिन चानणी तहसील डेगाना जिला नागौर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. सूरजीत पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. अधिशाषी अधिकारी सिचाई विभाग नोहर जिला हनुमानगढ ।

असल प्रतिवादीगण

3. पदमसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत साकिन चक 11 डीपीएन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. प्रमोद पुत्र सुभाष जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. रवी पुत्री देवेन्द्र जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर ।
6. रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन 11 डीपीएन तहसील नोहर ।
7. विजेन्द्र कुमार पुत्र डालुराम जाति नाई निवासी भादरा तहसील भादरा
8. सन्तोष देवी पत्नी कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/08/2022


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448(43) के किला न० 16 ता 25 की कुल 2.5300हैक तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की खाता संख्या 107/107 के प०न० 407/448(43) के किला न० 1 ता 15 की कुल 3.7950हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

वादी संख्या 1 के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448 (43) के किला न० 19/2 में 0.0380हैक गै०मु० खाला तथा किला न० 21/2 में 0.0370हैक गै०मु०खाला दर्ज रिकार्ड है तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 के खाता संख्या 107/107 में प०न० 407/448(43) के किला न० 5/3 की 0.0260हैक गै०मु०खाला किला न० 7/2 में 0.0380हैक गै०मु० खाला तथा किला न० 13/2 में 0.0380हैक गै०मु० खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

सीएडी विभाग के द्वारा काश्तकारो की सिचाई सुविधा के अनुसार उक्त खाला सहमति से निरस्त किया जाकर इस खाला की जगह प०न० 407/448(43) के किला न० 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ वादी संख्या 1 के खाते में से मंजूर कर दिया गया जो वर्तमान में चालू है तथा इसी खाले से सिचाई हो रही है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किला न० 5/3 ,7/2 ,13/2 ,19/2 ,21/2 में खाला दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर किला न० 21 ता 25 में वर्तमान में खाला चालू है में दर्ज करवाना चाहते है ।

काश्तकारो की सहमति के आधार पर काश्तकारो की सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए किला न० 21 ता 25 में खाला स्वीकृत किया गया था जो वर्तमान में चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह खाला दर्ज नहीं है जिससे काश्तकारो के मध्य कभी भी विवाद हो सकता है ।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किला न० 5/3 ,7/2 ,13/2 ,19/2 ,21/2 में गै०मु०खाला दर्ज है जो मौक पर चालू नहीं है भूमि काश्त हो रही है तथा किला न० 21 ता 25 में वर्तमान में खाला चल रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिये वर्तमान में चल रहे खाला किला न० 21 ता 25 की भूमि में गै०मु०खाला दर्ज करवाने एवं किला न० 5/3 ,7/2 ,13/2 ,19/2 ,21/2 में दर्ज गै०मु०खाला की भूमि को सम्बधित काश्तकार के खाता में बतौर मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

  
सहायक कलक्टर (राजस्व)  
हनुमानगढ

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कई मतवा कहा की वादी की भूमि में किला न० 5/3, 7/2, 13/2, 19/2, 21/2 में खाला नहीं है को निरस्त किया जावे एवं किला न० 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ खाला वर्तमान में चालू है को राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448(43) के किला न० 19/2, 21/2 तथा खाता संख्या 107/107 के किला न० 5/3, 7/2, 13/2 में दर्ज गै०मु०खाला को निरस्त किया जाकर मुमकिन दर्ज किया जावे इसकी जगह प०न० 407/448 (43) के किला न० 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ गै०मु० खाला दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड संशोधन करने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 जो तरतीबी प्रतिवादी है कि और से भरतसिंह अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 फोरमल पक्षकार होने के कारण कोई जबाब पेश नहीं किया ना ही आवश्यकता है प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकार जबाब पेश किया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448(43) के किला न० 19/2, 21/2 तथा खाता संख्या 107/107 के किला न० 5/3, 7/2, 13/2 में दर्ज गै०मु०खाला को निरस्त किया जाकर मुमकिन दर्ज किया जावे इसकी जगह प०न० 407/448 (43) के किला न० 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ गै०मु० खाला दर्ज राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा ने अपने पत्रांक 4804 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा अवगत करवाया गया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के प०न० 407/448(43) के किला न० 5/3, 7/2, 13/2, 19/2, 21/2 में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है इसके स्थान पर प०न० 407/448 (43) के किला न० 21 ता 25 में खाला स्वीकृत है प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने जबाब में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं साक्ष्यवादी में वादी ने शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करने पर जिरह शून्य रही शपथ पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448(43) के किला न० 16 ता 25 की कुल 2.5300 हैक् तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की खाता संख्या 107/107 के प०न० 407/448(43) के किला न० 1 ता 15 की कुल 3.7950 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी संख्या 1 के खाता संख्या 40/39 के प०न० 407/448 (43) के किला न० 19/2 में 0.0380 हैक् गै०मु० खाला तथा किला न० 21/2 में 0.0370 हैक् गै०मु०खाला दर्ज रिकार्ड है तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 के खाता संख्या 107/107 में प०न० 407/448(43) के किला न० 5/3 की 0.0260 हैक् गै०मु०खाला किला न० 7/2 में 0.0380 हैक् गै०मु० खाला तथा किला न० 13/2 में 0.0380 हैक् गै०मु० खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सीएडी विभाग के द्वारा काश्तकारों की सिचाई सुविधा के अनुसार उक्त खाला सहमति से निरस्त किया जाकर इस खाला की जगह प०न० 407/448(43) के किला न० 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ वादी संख्या 1 के खाते में से मंजूर कर दिया गया जो वर्तमान में चालू है तथा इसी खाले से सिचाई हो रही है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किला न० 5/3, 7/2, 13/2, 19/2, 21/2 में खाला दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर किला न० 21 ता 25 में वर्तमान में खाला चालू है में दर्ज करवाना चाहते है।

काश्तकारों की सहमति के आधार पर काश्तकारों की सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए किला न० 21 ता 25 में खाला स्वीकृत किया गया था जो वर्तमान में चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह खाला दर्ज नहीं है जिससे काश्तकारों के मध्य कमी भी विवाद हो सकता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किला न० 5/3, 7/2, 13/2, 19/2, 21/2 में गै०मु०खाला दर्ज है जो मौक पर चालू नहीं है भूमि काश्त हो रही है तथा किला न० 21 ता 25 में वर्तमान में खाला चल रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिये वर्तमान में चल रहे खाला किला न० 21 ता 25 की भूमि में गै०मु०खाला दर्ज करवाने एवं किला न० 5/3, 7/2

.13/2 .19/2 .21/2 में दर्ज गै0मु0खाला की भूमि को सम्बंधित काश्तकार के खाता में बतौर मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 407/448(43) के किला न0 19/2 .21/2 तथा खाता संख्या 107/107 के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 में दर्ज गै0मु0खाला मौके पर चालू नहीं है को निरस्त किया जाकर मुमकिन दर्ज किया जावे इसकी जगह प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में दक्षिण की तरफ गै0मु0 खाला राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए दर्ज किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा ने अपने पत्रांक 4804 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा अवगत करवाया गया की रोही मौजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है इसके स्थान पर प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में खाला स्वीकृत है प्रस्तुत किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 407/448(43) के किला न0 16 ता 25 की कुल 2.5300हैव तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की खाता संख्या 107/107 के प0न0 407/448(43) के किला न0 1 ता 15 की कुल 3.7950हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी संख्या 1 के खाता संख्या 40/39 के प0न0 407/448 (43) के किला न0 19/2 में 0.0380हैव गै0मु0 खाला तथा किला न0 21/2 में 0.0370हैव गै0मु0खाला दर्ज रिकार्ड है तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के खाता संख्या 107/107 में प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 की 0.0260हैव गै0मु0खाला किला न0 7/2 में 0.0380हैव गै0मु0 खाला तथा किला न0 13/2 में 0.0380हैव गै0मु0 खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु सीएडी विभाग की रिवाइज चक स्कीम में उक्त खाला को आपसी सहमति से निरस्त किया जाकर प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में खाला स्वीकृत किया गया है जो मौके पर चालू है। अर्थात् रोही मौजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है इसके स्थान पर प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में खाला स्वीकृत है वादी चालू खाला की भूमि को गै0मु0 एव पूर्व में खाला जो निरस्त किया जा चुका है की भूमि को मुमकिन दर्ज करवाना चाहता है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा की रिपोर्ट: /जबाब के अनुसार रोही मौजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में चक स्कीम अनुसार खाला स्वीकृत नहीं है इसके स्थान पर प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में खाला स्वीकृत है

परोकार राज ने द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में गैर मुमकिन खाला दर्ज है किन्तु मौका पर खाला नहीं है व प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में मौके पर खाला चालू है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं परोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वादी के कथनों की पुष्टि करती है कि प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में मौका पर कोई खाला नहीं है ना ही वर्तमान में स्वीकृत है केवल पूर्व चकस्कीम के अनुसार खाला दर्ज है रिवाइज्ड चकस्कीम के अनुसार मौका पर खाला नहीं है इसीप्रकार प0न0 407/448 (43) के किला न0 21 ता 25 में मौका पर खाला दक्षिण दिशा में चल रहा है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा व परोकार राज की मौका रिपोर्ट के अनुसार किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 में खाला स्वीकृत नहीं है ना ही मौका पर चालू है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में पूर्व सिचाई स्कीम के अनुसार दर्ज है जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं है।

परोकार राज के कथनानुसार राज्यहको को सुरक्षित रखने के लिये वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार किला न0 किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2

गै0मु0खाला निरस्त होता है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु गैर मुमकिन खाला का आरक्षित मूल्य राजकोष में जमा करवाया जाना उचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी के अनुसार वादी को भूमि आवंटित करते समय किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 की भूमि में गै0मु0खाला की भूमि के अलावा भूमि का आवंटन किया गया है अर्थात् उक्त किला की भूमि में से गै0मु0खाला की भूमि का मुमकिन किये जाने पर राज्यहको को सुरक्षित रखने हेतु गै0मु0 भूमि से मुमकिन की जाने वाली भूमि का आरक्षित मूल्य लिया जाना न्यायोचित है।

वादी ने किला न0 5/3 .7/2 .13/2 .19/2 .21/2 जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0खाला के रूप में दर्ज है को मुमकिन करवाने का वाद पेश किया है जिसमें से किला न0 19/2 .21/2 जिसमें गै0मु0खाला दर्ज है की केवल दिशा ही परिवर्तन की जानी है अर्थात् पूर्व में दर्ज गै0मु0खाला की भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

वादी किला न0 19/2 .21/2 की भूमि में वर्तमान खाला स्वीकृत होने एव मौका पर चलने के कारण केवल खाला चलने की दिशा का अनुतोष चाहा गया है तथा किला न0 5/3 .7/2 .13/2 की भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का खाला स्वीकृत नहीं होने एव मौका पर खाता नहीं चलने के कारण गैर मुमकिन खाला की भूमि को मुमकिन का अनुतोष चाहा है जो मौका अनुसार न्यायोचित भी प्रतीत होता है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतीत होता है कि किला न0 5/3 .7/2 .13/2 की भूमि को गैर मुमकिन से मुमकिन करने के लिये आरक्षित मूल्य जमा करवाया जा सकता है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु वादी से किला न0 5/3 .7/2 .13/2 की भूमि का डीएलसी का मूल्य जमा करवाया जाकर मुमकिन किया जा सकता है जो वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी पेज 798 वादी के प्रकरण पर पूर्णतया चरपा होती है

वादी के कथनो की पुष्टि सम्बन्धित विभाग अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका रिपोर्ट से होने के कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एव न्यायिक दृष्टान्तो के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के काबिल डिक्री है।

उक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद की पुष्टि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वाद का वाद साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 107/107 के प0न0 407/448 (43) के किला न0 5/3 की 0.0260हैक .7/2 की 0.0380हैक .13/2 की 0.0380हैक कुल 0.101हैक भूमि की डीएलसी दर के अनुसार रु ( 59,775 /रुपये ) सम्बन्धित काश्तकार के द्वारा जमा करवाने पर किला न0 5/3 की 0.0260हैक .7/2 की 0.0380हैक .13/2 की 0.0380हैक कुल 0.101हैक गै0मु0 खाला की भूमि सम्बन्धित खातेदारो के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है रोही मोजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 407/448(43) किला न0 19/2 के स्थान पर किला न0 22 में दक्षिण दिशा में 0.026हैक जो वर्तमान में चालू है का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किला न0 19/2 की भूमि बदले में मुमकिन सम्बन्धित काश्तकार के नाम दर्ज की जाती है एवं .21/2 में खाला की भूमि की दिशा दक्षिण की तरफ संशोधित की जाती है अर्थात् उक्तानुसार रोही मोजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 की 0.0260हैक 7/2 की 0.0380हैक 13/2 की 0.0380हैक व किला न0 19/2 की 0.0380हैक भूमि सम्बन्धित काश्तकार के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है एवं प0न0 407/448(43) के किला न0 21 में दिशा दक्षिण की तरफ एवं 22 ता 25 में दक्षिण दिशा में गै0मु0खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2022 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नाहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. पदमसिंह पुत्र गणपतराम जाति राजपूत साकिन चानणी तहसील डेगाना जिला नागौर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
1. सूरजीत पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. अधिशाषी अधिकारी सिचाई विभाग नोहर जिला हनुमानगढ ।

असल प्रतिवादीगण

3. पदमसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत साकिन चक 11 डीपीएन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. प्रमोद पुत्र सुभाष जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. रवी पुत्री देवेन्द्र जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर ।
6. रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत साकिन 11 डीपीएन तहसील नोहर ।
7. विजेन्द्र कुमार पुत्र डालुराम जाति नाई निवासी भादरा तहसील भादरा
8. सन्तोष देवी पत्नी कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 82 सन 2022 निर्णय दिनांक- 06/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादी एवं पेशोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 107/107 के प0न0 407/448 (43) के किला न0 5/3 की 0.0260हैक् ,7/2 की 0.0380हैक् ,13/2 की 0.0380हैक् कुल 0.101हैक् भूमि की डीएलसी दर के अनुसार रू ( 59,775 /रुपये ) सम्बधित काश्तकार के द्वारा जमा करवाने पर किला न0 5/3 की 0.0260हैक् ,7/2 की 0.0380हैक् ,13/2 की 0.0380हैक् कुल 0.101हैक् गै0मु0 खाला की भूमि सम्बधित खातेदारो के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है रोही मोजा चक 11 डीपीएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 407/448(43) किला न0 19/2 के स्थान पर किला न0 22 में दक्षिण दिशा में 0.026हैक् जो वर्तमान में चालू है का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किला न0 19/2 की भूमि बदले में मुमकिन सम्बधित काश्तकार के नाम दर्ज की जाती है एवं ,21/2 में खाला की भूमि की दिशा दक्षिण की तरफ सशोधित की जाती है अर्थात उक्तानुसार रोही मोजा चक 11 डीपीएन के प0न0 407/448(43) के किला न0 5/3 की 0.0260हैक् 7/2 की 0.0380हैक् 13/2 की 0.0380हैक् व किला न0 19/2 की 0.0380हैक् भूमि सम्बधित काश्तकार के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है एवं प0न0 407/448(43) के किला न0 21 की दिशा दक्षिण की तरफ एव 22 ता 25 में दक्षिण दिशा में गै0मु0खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुदा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )